

प्रेषक,

राज रतन,
उपसचिव,
30प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान
24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

वित्त (सेवायें) अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 06 अप्रैल, 2017

विषय:- अनुदान संख्या-63 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 के पाँच माह (अप्रैल से अगस्त, 2017 तक) के लिए लेखानुदान के सापेक्ष व्यय हेतु वित्तीय स्वीकृतियों निवर्तन पर रखे जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के अशासकीय पत्र संख्या-बी-1-404/दस-2017-231/2017, दिनांक 20 मार्च, 2017 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-1-2017/ बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष लेखानुदान की प्रथम पाँच माह (अप्रैल से अगस्त, 2017 तक) की अवधि के लिए अनुदान संख्या-63 के लेखाशीर्षक-"2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन-आयोजनेत्तर-003-प्रशिक्षण-03-वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान" के अन्तर्गत अधिष्ठान व्यय हेतु संलग्नक-1 के अनुसार मदवार कुल धनराशि ₹0 3,09,20,000/- (रूपया तीन करोड़. नौ लाख बीस हजार मात्र) व्यय किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- संलग्नक-1 में उल्लिखित मदवार धनराशियों का प्रदेशन इस शर्त के साथ किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लेखानुदान की अवधि में जो व्यय किया जाये वह उपलब्ध धनराशि के अन्दर रहे। प्रदिष्ट धनराशि से किसी भी नई मद में व्यय नहीं किया जायेगा ।

3- इस संबंध में यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त आवंटित धनराशि का व्यय उक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 द्वारा निर्धारित नियमों/आदेशों/निर्देशों के अनुसार एवं समय-समय पर जारी मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाये।

4- उपर्युक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि सुसंगत नियमों के अन्तर्गत जिन मदों पर शासन की स्वीकृति अपेक्षित है, उन मदों पर धनराशि व्यय करने से पूर्व अपेक्षित स्वीकृति शासन से प्राप्त कर ली जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

5- उक्त पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-63 के लेखाशीर्षक-"2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन-आयोजनेत्तर-003-प्रशिक्षण-03-वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान"- के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक ईकाइयों के नामे डाला जायेगा और लेखानुदान तथा तत्संबंधी विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत निधि से वहन किया जायेगा ।

संलग्नक यथोक्त

भवदीय,

(राज रतन)

उपसचिव।

संख्या-12/2017-एस-3-358(1)/दस-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, 50प्र0, इलाहाबाद,
- 2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ
- 3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 4- अनुभागीय गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(राज रतन)

उपसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या 12/2017/एस-3-358/दस-2017-ब(5)/2016 दिनांक 06 अप्रैल,2017
का संलग्नक

वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान का विवरण:-

2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन, 003-प्रशिक्षण

03- वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान का विवरण

धनराशि (लाख रुपये में)
आयोजनेत्तर

मानक मद के कोड व नाम	2017-18 में प्राविधानित धनराशि	अप्रैल से अगस्त,2017 तक पाँच माह हेतु प्रस्तावित धनराशि
01- वेतन	413.18	172.15
02-मजदूरी	3.00	1.25
03-महगाई भत्ता	20.66	8.60
04-यात्रा व्यय	1.00	0.40
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.50	0.20
06-अन्य भत्ते	26.57	11.07
07-मानदेय	7.00	2.90
08-कार्यालय व्यय	15.00	6.25
09-विद्युत देय	60.00	25.00
10-जल कर/जल प्रभार	22.50	9.40
11-लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	3.00	1.25
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	3.00	1.25
13-टेलीफोन पर व्यय	4.00	1.60
14-मोटर गाड़ियों का क्रय	-	-
15-गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	8.00	3.20
16-व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	75.00	31.25
17-किराया,उपशुल्क और कर स्वामित्व	26.20	10.90
18-प्रकाशन	2.00	0.20
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	2.00	0.20
29-अनुरक्षण	35.00	14.58
42-अन्य व्यय	1.00	0.40
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2.00	0.20
45-अवकाश यात्रा व्यय	1.00	0.40

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	2.00	0.20
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	3.00	1.25
49-चिकित्सा व्यय	12.00	5.00
51-वर्दी व्यय	0.30	0.10
52-पुनरिक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	24.92	-
योग	773.83	309.20

(रूपया तीन करोड़ नौ लाख बीस हजार मात्र)

(राज रतन)

उपसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।